

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

हरिनारायण बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा: प्रा0पत्र 136 दुरुस्ती इन्द्राज

प्र0 सं0:-02/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी परोकार सरकार अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि व अन्य खाते की नकलों से साबित है कि प्रार्थी हरिनारायण के पिता का सही नाम मूल्या है तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी हरिनारायण के पिता का नाम सहवन से जीवन दर्ज हो गया। जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जीवन के स्थान पर मूल्या दर्ज किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1013 लगा. 1019, 1119, 1120, 1126, 1127, 1129/4750, 1134, 1135, 2580, 2604, 2612 लगा. 2615, 2622, 2623, 969, 970, 973, 974, 975, 976 व 2583 कुल किता 29 कुल रकबा 3.21 है0 वाके ग्राम बागपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दीयों में दर्ज प्रार्थी हरिनारायण के पिता का नाम जीवन के स्थान पर दुरुस्ती की जाकर हरिनारायण पुत्र मूल्या दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को दिये जाते हैं। इसी कदर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु पृथक से तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान-दौसा
नांगल राजावतान (दौसा)